**बिहार सरकार**
**गृह विभाग**
**(आरक्षी शाखा)**

# आदेश

पटना, दिनांक 2017

संख्या–2/आ0–70–22/2014 गृ0आ0 /श्री संतोष कुमार राय, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेलसंड, जिला–सीतामढ़ी के विरूद्ध पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्र सं0–1472 दिनांक 05.05.2014 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय ज्ञापान सं0–5047 दिनांक 19.06.2014 द्वारा ज्ञापन निर्गत करते हुए श्री राय से बचाव अभिकथन की मांग की गई थी। विभागीय पत्र सं0–9651 दिनांक 18.11.2014 द्वारा श्री राय के बचाव अभिकथन को पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को भेजते हुए मंतव्य की अपेक्षा की गई थी। पुलिस महानिदेशक ने अपने पत्र सं0–3815 दिनांक 15.06.2015 द्वारा अपने मंतव्य से विभाग को अवगत कराया। पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ने अपने मंतव्य में श्री राय को भविष्य में सर्त्तक रहने की हिदायत की अनुशंसा के साथ मामले को संचिकास्त करने का प्रतिवेदन दिया।

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य एवं श्री राय के बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत श्री संतोष कुमार राय, तत्कालीन पुलिस पदाधिकारी, बेलसंड जिला–सीतामढ़ी को भविष्य के लिए सचेत करते हुए इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
**(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)**
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/आ0–70–22/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपिः–पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री संतोष कुमार राय, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेलसंड, जिला–सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि इसकी एक प्रति संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को तामिला कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/आ0–70–22/2014 गृ0आ0 2195 /पटना, दिनांक 15/3 2017

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/17

सरकार के उप सचिव।